



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-409

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 326541 दिनांक 21/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Jitendra Neel S/o SAR LAL	श्री गोविन्द नारायण शर्मा पुत्र श्री रुडमल शर्मा	A34	88.88 SQ. YARD	Private	LAXMINARA YAN VIHAR	Name Transfer	निजी खातेदारी की आवासीय योजना लक्ष्मीनारायण विहार के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या ए-34 क्षेत्रफल 88.88 वर्ग गज का पट्टा श्री गोविन्द नारायण शर्मा पुत्र श्री रुडमल शर्मा के नाम से दिनांक 19.09.2008 को जारी किया गया। तत्पश्चात इनके द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 06.03.2019 के माध्यम से श्रीमती परिता शर्मा पत्नी श्री चन्द्रशेखर शर्मा को बेचान कर दिया गया। तत्पश्चात श्रीमती परिता शर्मा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								09.04.2019 के माध्यम से श्री आदित्य शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा एवं श्रीमती निधि शर्मा पत्नी श्री आदित्य शर्मा को बैचान कर दिया गया। तत्पश्चात इनके द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.04.2023 के माध्यम से श्री अक्षय जैन पुत्र स्व० श्री पदम चन्द जैन को बैचान कर दिया गया। तत्पश्चात इनके द्वारा श्री श्रंयाश पुत्र श्री पदम चन्द जैन को जरिये मु०आम नियुक्त किया गया जोकि भारत का प्रधान कांसलावास दुबई से प्रमाणित है। तत्पश्चात श्री अक्षय जैन द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.08.2025 के माध्यम से श्री जीतेन्द्र नील पुत्र श्री सर लाल नील को बैचान कर दिया गया। वर्तमान में इनके द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु निवेदन
--	--	--	--	--	--	--	--	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Jitendra Neel S/o SAR LAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |